

फा.सं. 142/25/2007-टी.पी.एल.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2007

सेवा में

सभी मुख्य आयकर आयुक्त/
आयकर महानिदेशक

विषय : निर्दिष्ट प्रतिभूतियों अथवा स्वेट इक्विटी शेयर के आवंटन अथवा अंतरण पर उत्पन्न अनुषंगी लाभकर के संबंध में व्याख्यात्मक परिपत्र।

आयकर अधिनियम (यहां आगे “अधिनियम” के रूप में उल्लेख किया गया है) के अध्याय XII-ज के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के रूप में कोई नियोक्ता पिछले वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कर्मचारियों को स्वयं द्वारा प्रदत्त अथवा प्रदत्त समझे गए अनुषंगी लाभों के संबंध में अनुषंगी लाभकर (एफ बी टी) अदा करने का पात्र होता है।

कर्मचारियों को नियोक्ताओं द्वारा स्टॉक विकल्पों की मंजूरी को एफ बी टी के दायरे के भीतर लाने के लिए वित्त अधिनियम, 2007 ने धारा 115 ब ख की उपधारा (1) में एक नया खंड (घ) जोड़ा है। इस प्रावधान की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

- (i) एफ बी टी ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जहां नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर आवंटित अथवा हस्तांतरित किया गया है;
- (ii) एफ बी टी पिछले वर्ष में संदेय होगा जिसमें यह आवंटन या हस्तांतरण हुआ है;

- (iii) इस नए खंड के प्रावधान तब भी लागू होंगे जब आवंटन अथवा हस्तांतरण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में होगा;
- (iv) इस नए खंड के प्रावधान तब भी लागू होंगे जब आवंटन अथवा हस्तांतरण निःशुल्क अथवा रियायती दर पर होगा;
- (v) इस नए खंड के प्रावधान तब भी लागू होंगे जब आवंटन अथवा हस्तांतरण वर्तमान अथवा पिछले कर्मचारी या कर्मचारियों को होगा;
- (vi) इस नए खंड के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होंगे जहां आवंटन अथवा हस्तांतरण 1 अप्रैल, 2007 को अथवा इसके बाद होगा।

“निर्दिष्ट प्रतिभूति” और “स्वेट इक्विटी शेयर” को परिभाषित भी किया गया है। अनुषंगी लाभ के मूल्य पर अनुषंगी लाभ कर विद्यमान दर से लगता है, जो इस समय 30%+अधिभार+शिक्षा उपकर है।

2. अनुषंगी लाभ के मूल्य की गणना की विधि

धारा 115 ब ग में निहित विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत धारा 115 बख में उल्लिखित अनुषंगी लाभों के मूल्य की गणना की विधि दी गई है। नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर के आवंटन अथवा हस्तांतरण से संबंधित अनुषंगी लाभ की गणना का प्रावधान करने के लिए उक्त धारा 115 ब ग की उपधारा (1) में एक नया खंड (खक) जोड़ा गया है।

प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में अनुषंगी लाभ का मूल्य नीचे दिए फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाएगा -

क - ख

जहाँ, क = विकल्प देने की तिथि को निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर का उचित बाजार मूल्य (एफ एम वी);
और

ख = कर्मचारी द्वारा वस्तुतः संदत्त अथवा कर्मचारी से वसूली गई राशि, यदि कोई हो;

“उचित बाजार मूल्य” को बोर्ड द्वारा यथा विहित विधि के अनुसरण में निर्धारित मूल्य रूप में परिभाषित किया गया है।

“विकल्प” को पूर्व निर्धारित कीमत पर निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर हेतु आवेदन करने के लिए कर्मचारी को प्रदत्त अधिकार के रूप में न कि आभार के रूप में परिभाषित किया गया है।

अधिसूचना का.आ.सं.1805(अ) दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के तहत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) ने आयकर नियमावली में नियम 40ग अंतःस्थापित किया है, जिसने कंपनी में शेयर के रूप में निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण की विधि विहित की है। इस नियम की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

- (i) ऐसे मामले में जहां विकल्प देने की तारीख को कंपनी का शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, उचित बाजार मूल्य उक्त स्टॉक एक्सचेंज में उस तिथि को खुलने और बंद होने वाले मूल्य का औसत होगा;
- (ii) यदि विकल्प देने की तिथि को शेयर एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होगा, तो उचित बाजार मूल्य उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में खुलने और बंद होने वाले मूल्य का औसत होगा जो उस शेयर में सबसे अधिक कारोबार दर्ज करेगा;
- (iii) यदि विकल्प देने की तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उस शेयर में कारोबार नहीं होगा, तो उचित बाजार मूल्य होगा –
- (क) विकल्प देने की निकटतम तिथि और इस तिथि से ठीक पूर्ववर्ती तिथि को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का अंत मूल्य; अथवा
- (ख) ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का अंत मूल्य जो ऐसे शेयर में कारोबार की अधिकतम मात्रा दर्ज करता है, अगर विकल्प देने की निकटतम तिथि तथा ऐसी तिथि से ठीक पूर्ववर्ती तिथि के अनुसार अंत मूल्य एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज किया जाता है।
- (iv) ऐसे मामले में जहां विकल्प देने की तारीख को कंपनी का शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, तो उचित बाजार मूल्य निर्दिष्ट तिथि को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के यहां पंजीकृत श्रेणी-1 के मर्चेन्ट बैंकर द्वारा यथा निर्धारित कंपनी के शेयर का मूल्य होगा।

(v) निर्दिष्ट तिथि को निम्नवत परिभाषित किया गया है, –

- (i) विकल्प देने की तिथि; अथवा
- (ii) विकल्प देने की तिथि से पहले की कोई तिथि, जो ऐसी तिथि नहीं होगी जो विकल्प देने की तिथि से 180 दिन से भी अधिक पहले की होगी।

3. पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजनार्थ अधिग्रहण लागत का निर्धारण

धारा 115 बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में उल्लिखित अनुषंगी लाभों के मूल्यांकन का प्रावधान करने के लिए धारा 115 बग की उपधारा (1) में खंड (खक) के जोड़े जाने के परिणामस्वरूप धारा 49 में एक नई उपधारा (2 कख) जोड़ी गई है।

यह नई उपधारा प्रावधान करती है कि निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयरों की अधिग्रहण लागत उचित बाजार मूल्य होगी जिसे धारा 115 बग की उपधारा (1) के नए खंड (खक) के अंतर्गत अनुषंगी लाभ के मूल्य की गणना करते समय हिसाब में लिया गया है।

4. होल्डिंग की अवधि का निर्धारण

धारा 2 के खंड (42 क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में भी एक नया उपखंड (जख) जोड़ा गया है। यह नया उप खंड प्रावधान करता है कि कर्मचारी के हाथ में ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयरों के मामले में होल्डिंग की अवधि की गणना ऐसी प्रतिभूति अथवा शेयरों के आवंटन अथवा हस्तांतरण की तिथि से की जाएगी।

5. नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों से एफ बी टी की वसूली

निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयरों के संबंध में कर्मचारी से अनुषंगी लाभ कर की वसूली करने में नियोक्ता को समर्थ बनाते हुए एक नई

धारा 115 ब ट भी जोड़ी गई है, यदि ऐसी प्रतिभूति अथवा शेयर 1 अप्रैल, 2007 को या इसके बाद कर्मचारी को हस्तांतरित अथवा आवंटित किया जाता है।

विहित किया गया है कि नियोक्ता करार अथवा योजना बदल सकता है जिसके अंतर्गत ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर आवंटित अथवा हस्तांतरित किए गए हैं। कर्मचारी से उस सीमा तक अनुषंगी लाभ कर की वसूली के लिए करार अथवा योजना बदली जा सकती है जिस सीमा तक ऐसा कर्मचारी स्वयं को आवंटित अथवा हस्तांतरित ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर के संबंध में अनुषंगी लाभ कर अदा करने का पात्र है।

6. स्पष्टीकरण

उपर्युक्त संशोधनों को स्पष्टीकरण की मदद से समझाया गया है।

स्पष्टीकरण : एक्स कंपनी अपने आर कर्मचारी को 1 अप्रैल, 2006 विकल्प देने की तिथि और 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक विकल्प प्रयोग अवधि के साथ 50/- रूपए प्रति शेयर के पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के 100 शेयरों के लिए आवेदन करने हेतु 1 अप्रैल, 2004 को विकल्प देती है।

कर्मचारी आर 31 मार्च, 2007 को अपने विकल्प का प्रयोग करता है तथा 3 अप्रैल, 2007 को उसे शेयर आवंटित/हस्तांतरित किए जाते हैं। 25 अक्टूबर, 2007 को 200 रूपए प्रत्येक की दर से ये बेचे जाते हैं। विकल्प देने की तारीख को शेयर का उचित बाजार मूल्य 80 रूपए प्रति शेयर था। उपर्युक्त स्थिति में कर निहितार्थ निम्नानुसार होगा :

चूंकि शेयर 1 अप्रैल, 2007 को अथवा इसके बाद आवंटित अथवा हस्तांतरित किए जाते हैं, इसलिए अनुषंगी लाभ कर के प्रावधान आकृष्ट होते हैं। कर्मचारी आर के संबंध में अनुषंगी लाभ (80 रूपए - 50 रूपए) x 100 = 3000/- रूपए है।

कंपनी एक्स 3000 रूपए पर अनुषंगी लाभ कर का भुगतान करेगी।

कर्मचारी आर के हाथ में अधिग्रहण की लागत = 80 रूपए प्रति शेयर

पूंजीगत अभिलाभ = (200 रूपए - 80 रूपए) x 100 = 12000 रूपए

होलडिंग की अवधि = 3 अप्रैल, 2007 से 25 अक्टूबर, 2007 अर्थात् 12 माह से कम। अतएव 12000 रूपए की राशि अल्पकालीन पूंजीगत अभिलाभ पर प्रभारित की जाएगी।

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वित्त विधेयक, 2007 की प्रस्तुती के बाद, इसके अधिनियमन के बाद और नियम 40ग की अधिसूचना के बाद भी अनेक मंचों पर व्यापार और उद्योग जगत द्वारा असंख्य मुद्दे उठाए गए हैं। निम्नलिखित खंड में दिए गए प्रश्नों और उत्तरों के जरिए इन मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है :

1. क्या कोई विदेशी कंपनी अपनी भारतीय सहायक कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों पर एफ बी टी का भुगतान करने की पात्र है ?

उत्तर : अधिनियम के अध्याय XII-ज के प्रावधानों के मद्देनजर, कंपनी के रूप में कोई नियोक्ता पिछले वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने कर्मचारियों को प्रदत्त अथवा प्रदत्त समझे गए अनुषंगी लाभों के संबंध में एफ बी टी का भुगतान करने का पात्र है। चूंकि सहायक कंपनी में नियोजन की वजह से भारतीय सहायक कंपनी के कर्मचारियों को शेयर आवंटित अथवा हस्तांतरित किए जाते हैं, इसलिए ऐसे शेयरों पर अनुषंगी लाभ कर अदा करने की जिम्मेदारी भारतीय सहायक कंपनी की है न कि विदेशी कंपनी की है।

2. क्या विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय सहायक कंपनी को लागतों को वापस प्रभारण एफ बी टी अदा करने के लिए भारतीय कंपनी का दायित्व निर्धारित करने के लिए संगत है ?

उत्तर : जैसा कि उत्तर न. 1 में कहा गया है, भारतीय सहायक कंपनी

अनुषंगी लाभ कर के लिए पात्र है भले ही विदेशी होल्डिंग कंपनी द्वारा लागत का वापस प्रभारण हो या न हो।

3. क्या विदेशी होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रदत्त शेयरों के लिए भारतीय सहायक कंपनी के कर्मचारियों के मामले में एफ बी टी लागू होगा, यदि भारतीय सहायक कंपनी के कर्मचारियों को भारत से बाहर रहते हुए शेयर आवंटित अथवा हस्तांतरित किया जाता है ?

उत्तर : सी बी डी टी के परिपत्र सं.8/2005 दिनांक 29.8.2005 के प्रश्न सं. 2 के उत्तर में, स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी भारत में कर्मचारियों को प्रदत्त अथवा प्रदत्त समझे गए अनुषंगी लाभों के मूल्य पर अनुषंगी लाभ कर के लिए पात्र होता है। इसलिए भारतीय सहायक कंपनी विदेशी होल्डिंग कंपनी द्वारा आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों के मूल्य के संबंध में एफ बी टी अदा करने के लिए पात्र है, यदि कर्मचारी विकल्प मंजूर किए जाने की तिथि से लेकर ऐसा विकल्प देने की तिथि समाप्त होने की अवधि (इसके बाद ऐसी अवधि को मंजूरी अवधि कहा गया है) के दौरान किसी भी समय भारत में स्थित था, ऐसे शेयरों के आवंटन अथवा हस्तांतरण के समय कर्मचारी की अवस्थिति का स्थान चाहे जो भी हो।

4. क्या अनुषंगी लाभ का मूल्य ऐसे मामलों में निर्धारित किया जाएगा जहां कर्मचारी मंजूरी अवधि के सिर्फ एक भाग के लिए भारत में स्थित था ?

उत्तर : जहां कर्मचारी मंजूरी अवधि के सिर्फ एक भाग के लिए भारत में स्थित था, वहां अनुषंगी लाभ के मूल्य की आनुपातिक राशि एफ बी टी के लिए पात्र होगी। अनुषंगी लाभ के मूल्य के उस अनुपात को लागू करके आनुपातिक राशि निर्धारित की जाएगी, जिस अनुपात में कर्मचारी द्वारा मंजूरी अवधि के दौरान भारत में प्रवास की अवधि मंजूरी अवधि के समय से संबंधित होगी।

(अनुषंगी लाभ के मूल्य का तात्पर्य उस तिथि को निर्दिष्ट प्रतिभूति

अथवा स्वेट इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य से है जिस तिथि को कर्मचारी को विकल्प दिया जाता है जिसमें से ऐसे शेयरों के संबंध में कर्मचारी द्वारा वस्तुतः संदत्त अथवा कर्मचारी से वस्तुतः वसूली गई राशि घटाई जाती है।)

5. क्या कोई विदेशी कंपनी ऐसे कर्मचारी को आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों के संबंध में अनुषंगी लाभ कर के लिए पात्र है जिसे ऐसे आवंटन अथवा हस्तांतरण के वर्ष में भारत में कार्य के प्रति नियुक्त किया जाता है ?

उत्तर : विदेशी कंपनी अपने ऐसे कर्मचारी को आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों के संबंध में एफ बी टी के लिए पात्र है जो भारत में स्थित है। तथापि ऐसे मामलों में अनुषंगी लाभ के मूल्य की आनुपातिक राशि एफ बी टी के लिए पात्र होगी। अनुषंगी लाभ के मूल्य के उस अनुपात को लागू करके आनुपातिक राशि निर्धारित की जाएगी, जिस अनुपात में कर्मचारी द्वारा मंजूरी अवधि के दौरान भारत में प्रवास की अवधि मंजूरी अवधि के समय से संबंधित होगी।

(अनुषंगी लाभ के मूल्य का तात्पर्य उस तिथि को निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य से है जिस तिथि को कर्मचारी को विकल्प दिया जाता है जिसमें से ऐसे शेयरों के संबंध में कर्मचारी द्वारा वस्तुतः संदत्त अथवा कर्मचारी से वस्तुतः वसूली गई राशि घटाई जाती है।)

6. प्रश्न संख्या 4 तथा 5 में उल्लिखित शेयरों की अधिप्राप्ति की लागत क्या थी जहाँ अनुषंगी लाभ का आनुपातिक मूल्य ही अनुषंगी लाभ कर के अधीन है ?

उत्तर : उक्त अधिनियम की धारा 49 (2क ख) के अनुसार, ऐसे शेयरों की अधिप्राप्ति लागत उस तिथि के उचित मार्केट मूल्य पर होगी जिस पर विकल्प कर्मचारी से निहित है। अनुषंगी लाभ कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अनुषंगी लाभ की संगणना भी यह मूल्य परिवर्तित नहीं करता है। अतः कर्मचारी द्वारा वास्तविक रूप से संदत्त की गई

अथवा कर्मचारी से वसूली गई राशि से ऐसे उचित मार्केट मूल्य को कम करने की परवर्ती संगणना तथा ऊपर प्रश्न सं. 4 और 5 में उल्लिखित कतिपय मामलों आनुपातिक मूल्य की संगणना अधिप्राप्ति लागत में परिवर्तन नहीं करेगी।

7. क्या कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित तथा हस्तांतरित किए गए शेयरों के कारण विभिन्न देशों में कर्मचारियों के लाभ पर कर लगाया जाता है, क्या नियोजक को भी अनुषंगी लाभ कर देना होगा? यदि हां, तो क्या नियोजक अन्य देशों में कर्मचारी द्वारा कर के भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है?

उत्तर : भारत में नियोजक को अनुषंगी लाभ कर देना होगा भले ही विभिन्न देशों में कर्मचारियों पर कर प्रभारित किया जाता है अथवा नहीं। भारत में कोई नियोजक किसी क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता है इसके बजाय अन्य देशों में कर्मचारियों द्वारा संदत्त किए गए करों के लिए अनुषंगी लाभ कर देय है।

8. क्या कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित तथा हस्तांतरित शेयरों के कारण भारत में स्थित किसी कर्मचारी के संबंध में नियोजक द्वारा अनुषंगी लाभ कर का भुगतान किया गया है और बाद में उसकी वसूली कर्मचारी से की गई है, क्या ऐसा कर्मचारी भारत में नियोजक द्वारा संदत्त किए गए इस अनुषंगी लाभ कर के लिए विदेशी राष्ट्र में क्रेडिट का दावा कर सकता है?

उत्तर : सामान्य तौर पर, अपने नियोजक की ओर से कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए अनुषंगी लाभों के संबंध में कर्मचारी को ही कर देना पड़ता है। तथापि, अनुषंगी लाभ के कराधान में कर्मचारी के हाथ में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तदनुसार, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को दिए गए अथवा संदत्त समझे जाने वाले अनुषंगी लाभों के संबंध में नियोजक पर अतिरिक्त कर के रूप में अनुषंगी लाभ कर लागू करने का निर्णय लिया गया। ऐसी स्थिति में, उस मामले में कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित तथा

हस्तांतरित शेयरों के कारण जहां अनुषंगी लाभ कर भारत में स्थित किसी कर्मचारी के संबंध में नियोजक द्वारा संदत्त किया गया है और बाद में उसकी वसूली कर्मचारी से की गई है, वहां अनुषंगी लाभ कर प्रभावी रूप से उसके द्वारा प्राप्त अनुषंगी लाभों के संबंध में कर्मचारी द्वारा संदत्त किया जाता है। अतः ऐसा कर्मचारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों के कारण भारत में नियोजक द्वारा संदत्त किए गए अनुषंगी लाभ कर का विदेशी राष्ट्र में क्रेडिट का दावा कर सकता है।

9. क्या नियोजक के विकल्प पर उक्त अधिनियम के अध्याय XIIज के अंतर्गत अनुषंगी लाभ के रूप में लगाए जा रहे कर के स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत परिलब्धि के रूप में कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों के कारण उद्भूत होने वाले लाभों पर कर लगाया जा सकता है?

उत्तर : उक्त अधिनियम के अध्याय XIIज के अंतर्गत नियोजक के हाथ में लगाए जाने वाला देय किसी अनुषंगी लाभ पर उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत किसी परिलब्धि के रूप में कर नहीं लगाया जा सकता है। अतः नियोजक को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों के कारण परिलब्धि के रूप में उद्भूत होने वाले लाभ पर कर लगाने का विकल्प नहीं होता है अन्यथा अनुषंगी लाभ के रूप में कर लग सकता है।

10. उस मामले में जहां कर्मचारी द्वारा शेयरों के आवंटन अथवा हस्तांतरण के लिए नियोजक को देय तिथि की एफ एम वी से ज्यादा कीमत अदा की गई है क्या वहां कोई अनुषंगी लाभ कर देयता होगी?

उत्तर : ऐसे मामलों में कोई अनुषंगी लाभ कर देय नहीं होगा।

11. विदेशी कंपनियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होगा यदि शेयर भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं किन्तु वैश्विक स्तर पर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है?

उत्तर : यदि शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध

नहीं हैं तो उन शेयरों को सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा। तदनुसार, ऐसे शेयरों का मूल्यांकन भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत श्रेणी-1 मर्चेट बैंकर द्वारा किया जाएगा। तथापि, यदि ये शेयर वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं तो मर्चेट बैंक द्वारा मूल्यांकन तथा संस्तुत सर्वोत्तम मूल्य में से किसी एक आधार पर सूचीबद्ध मूल्य का उपयोग करेगा।

12. क्या विदेशी राष्ट्र में मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त किसी विदेशी मर्चेट बैंकर/अन्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन को विदेशी कंपनी में गैर-सूचीबद्ध कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयरों के आवंटन अथवा हस्तांतरण के कारण उद्भूत होने वाले अनुषंगी लाभ के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त अनुपालन के रूप में माना जाएगा अथवा यह अनिवार्य होगा कि मर्चेट बैंकर को भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत होना चाहिए?

उत्तर : किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयरों के आवंटन अथवा हस्तांतरण के कारण उद्भूत होने वाले अनुषंगी लाभ के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि उक्त मूल्यांकन करने के लिए श्रेणी-1 मर्चेट बैंकर को भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत होना होगा।

13. गैर-सूचीबद्ध कंपनियों का एफ एम वी मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ कब से मौजूद हैं जिनका एफ एम वी निर्धारण करने के लिए मर्चेट बैंकरों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए?

उत्तर : मर्चेट बैंकरों को वैकल्पिक पद्धतियों और संस्तुत किए गए सर्वाधिक उचित मूल्य के आधार पर एफ एम वी का निर्धारण करना चाहिए।

14. विनिर्दिष्ट तारीख का महत्व क्या है? क्या मूल्यांकन विनिर्दिष्ट तारीख अथवा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के आधार पर किया जाना है

अथवा स्वैट इक्विटी शेयर का मूल्यांकन विनिर्दिष्ट तारीख के आधार पर किया जाना है?

उत्तर : मर्चेट बैंकर द्वारा विकल्प देने की तारीख से पूर्व अथवा उसके बाद किसी समय भी मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है किन्तु विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वैट इक्विटी शेयर के लिए अपेक्षित है कि विनिर्दिष्ट तारीख को ही मूल्यांकन किया जाए।

15. उस कंपनी का एफ एम वी क्या है जिसे अपनाया जाना चाहिए यदि शेयरों का मूल्यांकन एक से अधिक मर्चेट बैंकर द्वारा अथवा एक से अधिक अवसरों पर किसी एक मर्चेट बैंकर द्वारा मूल्यांकन किया गया है?

उत्तर : यदि शेयरों का मूल्यांकन एक से अधिक मर्चेट बैंकर द्वारा अथवा एक मर्चेट बैंकर द्वारा एक से अधिक अवसर पर किया गया है तो उस मूल्यांकन को अपनाया जाए जो विनिर्दिष्ट तारीख को विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वैट इक्विटी शेयर का मूल्य है, जो विकल्प देने की निकटतम तारीख है।

16. क्या नियोजक कंपनी की कराधेय आय की संगणना में कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आवंटित अथवा हस्तांतरित शेयरों के कारण उद्भूत होने वाले अनुषंगी लाभ को कटौती के रूप में अनुमति दी गई है?

उत्तर : उस मामले में जहाँ नियोजक शेयरों को खरीदता है और उसके बाद वह ऐसे शेयरों को अपने कर्मचारियों को हस्तांतरित करता है, वहाँ इस प्रकार किए गए खर्च को कंपनी नियोजक भी कराधेय आय की संगणना में कटौती के रूप में छूट दी गई है। तथापि, यदि कंपनी के शेयर पूंजी से ये शेयर कर्मचारियों को आवंटित किए गए हैं तो कंपनी की कराधेय आय की संगणना में कोई कटौती अनुमत नहीं है क्योंकि इसके द्वारा किया गया कोई व्यय नहीं है।

17. क्या गैर-कार्यकारी निदेशकों अथवा गैर-कर्मचारियों को अनुषंगी लाभ कर के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को जारी किया गया था ?

उत्तर : जारी की गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना से उद्भूत होने वाले लाभ पर गैर-कर्मचारियों को अनुषंगी लाभकर नहीं देना होगा। तथापि, ऐसे मामलों में गैर-कर्मचारियों पर ऐसे लाभों पर जो कर देयता होगी वह मौजूदा कर कानून के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

18. यदि विभिन्न शेयरों में निवेश करने की विविध तारीखें हैं तो वहाँ फस्ट-इन-फस्ट-आउट (फीफो) अथवा लास्ट-इन-फस्ट-आउट (लीफो) की कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी। उदाहरण के लिए यदि निवेश की तारीख निम्नवत है :

31 मार्च 06 - 300 विकल्प - एफ एम वी 8 रूपए प्रति शेयर (एक शेयर प्रति विकल्प)

31 मार्च 07 - 300 विकल्प - एफ एम वी 9 रूपए प्रति शेयर (एक शेयर प्रति विकल्प) तथा कर्मचारी को 30 सितम्बर, 2007 को 500 शेयर आवंटित किया गया है तो अनुषंगी लाभ कर की संगणना कैसे की जाएगी ?

उत्तर : ऐसे मामलों में फस्ट-इन-फस्ट-आउट (फीफो) पद्धति अपनाई जाएगी। अतः 8 रूपए प्रति शेयर के एफ एम वी पर 300 शेयरों और 9 रूपए प्रति शेयर के एफएम वी पर 200 शेयरों के संबंध में अनुषंगी लाभ कर की संगणना की जाएगी।

19. क्या कर-निर्धारण अधिकारी को मर्चेन्ट बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन को स्वीकार करने की बाध्यता है ?

उत्तर : मर्चेन्ट बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन को स्वीकार करने की बाध्यता है बशर्ते ऐसे बैंक द्वारा किया गया मूल्यांकन विकृत न हो।

20. नियोजक को देय समझे जाने वाले किसी अनुषंगी लाभ कर की वसूली कैसे की जाएगी ?

उत्तर : चूंकि नियोजक की आय की संगणना में अनुषंगी लाभ कर की कटौती अनुमत नहीं है अतः अनुषंगी लाभ कर की किसी वसूली को उसकी आय के रूप में नहीं माना जाएगा।

21. अनुषंगी लाभ कर की वसूली का कौन सा तंत्र और समय होना चाहिए ?

उत्तर : कानून में अनुषंगी लाभ कर की वसूली का कोई विशिष्ट तंत्र अथवा समय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

22. क्या 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व स्वीकृत की गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के संबंध में अनुषंगी लाभ कर की वसूली के लिए नियोजक विधि सम्मत है ?

उत्तर : 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व स्वीकृत की गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के संबंध में अनुषंगी लाभ कर की वसूली के लिए नियोजक विधि सम्मत है किन्तु ऐसी तिथि के बाद कर्मचारी को इसका आवंटन अथवा हस्तांतरण किया गया हो।

23. कर्मचारी स्टॉक विकल्प के आवंटन की तारीख क्या होगी ?

उत्तर : कर्मचारी स्टॉक विकल्प के आवंटन की तिथि वही होगी जिस तारीख को मौजूदा परिसंपत्ति का आवंटन अथवा हस्तांतरण कर्मचारी को किया गया है।

24. क्या कर्मचारी से वसूला गया अनुषंगी लाभ कर शेयरों की पर्याप्त बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभ की संगणना के लिए कर्मचारी का लागत आधार होगा ?

उत्तर : जी, नहीं। नियोजक द्वारा कर्मचारी से वसूला गया अनुषंगी लाभ कर कर्मचारी के हाथ में शेयरों की अधिप्राप्ति लागत में परिवर्तित नहीं होगा।

25. क्या आयकर नियमावली का नियम 40 ग उन मामलों में भी लागू होगा जहां “कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना” अथवा “कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना” अथवा “कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना” अथवा “कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना” अथवा “कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना” अथवा “कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना” अथवा “कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना” के अंतर्गत किसी कर्मचारी को शेयर आवंटित किया गया है अथवा हस्तांतरित किया गया है ?

उत्तर : उन सभी मामलों में नियम 40 ग लागू होगा जहाँ एक कंपनी होने के नाते किसी स्कीम अथवा योजना अथवा अन्यथा के अंतर्गत किसी कर्मचारी को विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वैट इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं अथवा हस्तांतरित किए गए हैं। इस परिपत्र के प्रयोजनार्थ कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में ऐसी सभी स्कीमों अथवा योजनाओं आदि को शामिल किया जाएगा।

कमलेश सी. वाष्णेय
निदेशक (टी.पी.एल.-II)


प्रति : अग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।

प्राक्कथन

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं पर अनुषंगी लाभकर से संबंधित विषयों पर काफी समय से अलग-अलग मंचों पर चर्चा होती रही है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्दिष्ट प्रतिभूतियों अथवा स्वैट इक्विटी शेयरों के आबंटन अथवा अंतरण पर देय अनुषंगी लाभकर के संबंध में व्यापक परिपत्र संख्या 9/2007 जारी किया है।

यह परिपत्र व्यापक तथा स्वतः व्याख्यात्मक है। अतः इस परिपत्र को “करदाता सूचना माला” के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। मुझे विश्वास है कि करदाता इस प्रकाशन का भरपूर लाभ उठायेंगे।

इस प्रकाशन को बेहतर बनाने हेतु सुझावों का स्वागत है।



(अमिताभ कुमार)
आयकर निदेशक
(ज.सं.मु.प्र. व रा.भा.)

नई दिल्ली
दिनांक : 06 जून, 2008

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं
पर
अनुषंगी लाभकर

(फ्रिंज बेनिफिट टैक्स)

प्रायः पूछे
जाने वाले
प्रश्न



आयकर विभाग
आयकर निदेशालय (ज.सं., मु.प्रका. व रा.भा.)
छठा तल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं
पर
अनुषंगी लाभकर
(फ्रिंज बेनिफिट टैक्स)



प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न



केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय